

डॉ.टी.वर्गीस जॉर्ज
बनाम
कोरा के.जॉर्ज एवं अन्य

(2003 की दीवानी अपील संख्या 6786)

13 अक्टूबर, 2011

[आर.वी.रवीन्द्रन तथा एच.एल.गोखले, न्यायमूर्तिगण]

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908:

धारा 92(1)(ग) - सार्वजनिक परोपकार - एक लोक प्रयोजन के लिए परोपकारी स्वरूप का न्यास स्थापित किया गया अर्थात् विद्यालय का संचालन - कुप्रबंधन के आरोप - योजना निर्धारण हेतु वाद - संधार्यता - अभिनिर्धारित: धारा 92 के अनुसार, न्यास में हित रखने वाले दो या अधिक व्यक्ति ऐसा वाद संस्थित कर सकते हैं जहाँ ऐसे व्यक्ति किसी लोक प्रयोजन के लिए स्थापित न्यास के उल्लंघन का प्रकरण स्थापित करते हैं - उपधारा (1)(ग) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों में से एक योजना का निर्धारण करना है - वाद दायर करने वाले तीन व्यक्तियों में से एक न्यासी मंडल का सदस्य था, दूसरा वह व्यक्ति था जिसने संस्थान के लिए भूमि क्रय करने तथा विद्यालय की इमारत के निर्माण हेतु धन एकत्र किया था और तीसरा विद्यालय के एक छात्र का अभिभावक था - इन व्यक्तियों में से किसी के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वे न्यास के प्रति सद्भावना से रहित थे - उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यह अनुभव किया कि न्यास के प्रशासन के लिए एक उपयुक्त योजना आवश्यक थी और अतः उसने न्यास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विधिवत योजना निर्धारित की।

लोक प्रयोजन हेतु न्यास - एक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित व्यक्ति द्वारा विद्यालय संचालन के लोक प्रयोजन के लिए न्यास की स्थापना - अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि न्यास अल्पसंख्यक न्यास नहीं

था, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा अपील में अपरिवर्तित रखा गया तथा सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पुनः पुष्टि की गई - ऐसी स्थिति में, न्यास के धर्मनिरपेक्ष शैक्षिक न्यास होने के स्वरूप से संबंधित प्रश्न को पुनः खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती - अन्यथा भी, संस्था का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप संस्थापक द्वारा किए गए घोषणा-पत्र के खंड 10 में विनिर्दिष्ट किया गया था - संस्थापक द्वारा की गई प्रारंभिक घोषणा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह प्रतीत हो कि संस्था को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित किया जाना था - सभी न्यासियों का नामांकन पदेन आधार पर अथवा उनकी योग्यता के आधार पर किया गया था, न कि धर्म के आधार पर - निधियों तथा आय का उपयोग जाति, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना निर्धन एवं योग्य छात्रों के प्रोत्साहन हेतु किया जाना था - उक्त घोषणा में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि न्यास का सृजन ईसाई समुदाय के लाभ के लिए किया जा रहा था - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 30।

एक टी. थॉमस, जिन्होंने 'सेंट मैरीज़ स्कूल' नाम से एक विद्यालय स्थापित किया था, ने उक्त विद्यालय के संचालन के उद्देश्य से 'टी. थॉमस शैक्षणिक न्यास' नामक न्यास का घोषणा-पत्र निष्पादित किया। उनके निधन के पश्चात, न्यास और विद्यालय का प्रबंधन उनकी पत्नी, अर्थात् श्रीमती 'ईटी' के अधीन आ गया। उनके द्वारा न्यास की निधियों के कुप्रबंधन के आरोप होने के कारण, प्रथम उत्तरदाता सहित तीन व्यक्तियों ने दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 92 के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष न्यास के लिए एक योजना निर्धारित करने हेतु वाद संस्थित किया। श्रीमती 'ईटी' का यह निवेदन कि न्यास एक निजी न्यास तथा एक अल्पसंख्यक संस्था है, अस्वीकार कर दिया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह एक सार्वजनिक परोपकारी न्यास है। यह पाया गया कि न्यास कई विद्यालयों तथा एक महाविद्यालय का भी संचालन कर रहा था। उच्च न्यायालय ने अंततः एक योजना निर्धारित की और एक न्यासी मंडल की नियुक्ति की, जिसमें एक पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अध्यक्ष तथा एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को

कार्यकारी न्यासी सहित कुल आठ सदस्य सम्मिलित थे। श्रीमती 'ईटी' द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए दायर विशेष अनुमति याचिका उनके द्वारा वापस ले ली गई। अपीलकर्ता, जिसने यह दावा किया कि उसने न्यास के लिए पर्याप्त धन एकत्र किया था, परंतु जो उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं था, ने वर्तमान अपील दायर की। अपीलकर्ता ने दिवानी विविध याचिका संख्या 20476/2003 भी दायर की, जिसे वर्ष 2005 में उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया और उसे उच्च न्यायालय के समक्ष मूल अधिकारिता अपील संख्या 49 वर्ष 1995 में उत्तरदाता के रूप में सम्मिलित किया गया। अपीलकर्ता ने दिवानी विविध याचिका संख्या 5660/2005 तथा दिवानी विविध याचिका संख्या 9402 वर्ष 2006 भी दायर की, जिनमें अभिरक्षक की नियुक्ति तथा मूल अधिकारिता अपील संख्या 49 वर्ष 1995 में पारित योजना संबंधी न्यायादेश में संशोधन की प्रार्थना की गई। इस बीच, श्रीमती 'ईटी' का वर्ष 2006 में निधन हो गया। उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.9.2007 के एक सामान्य आदेश द्वारा उपर्युक्त तीनों दिवानी विविध याचिकाओं को निरस्त कर दिया। इसके अतिरिक्त, दो अन्य व्यक्तियों द्वारा अतिरिक्त आवेदक के रूप में सम्मिलित किए जाने हेतु दायर दिवानी विविध याचिकाओं पर विचार करने से भी इनकार कर दिया गया। उक्त दोनों व्यक्तियों ने विशेष अनुमति याचिका संख्या 22590 तथा 22591 वर्ष 2007 दायर की। अपीलकर्ता ने अवमानना याचिका संख्या 435 वर्ष 2004 भी दायर की थी।

वर्तमान अपील में अपीलकर्ता ने पुनः यह प्रश्न उठाया कि टी. थॉमस शैक्षणिक न्यास एक अल्पसंख्यक संस्था है और इसे सार्वजनिक न्यास नहीं माना जा सकता, तथा इस प्रकार उच्च न्यायालय ने अधिकारिता का प्रयोग करते हुए दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 92 के अधीन न्यास के प्रशासन हेतु योजना निर्धारित करने में त्रुटि की।

अपील तथा याचिकाओं को निरस्त करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 92 के अनुसार, न्यास में हित

रखने वाले दो या अधिक व्यक्ति, उसमें विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक परोपकार से संबंधित न्यायादेश प्राप्त करने हेतु, मूल अधिकारिता वाले प्रधान दीवानी न्यायालय में वाद संस्थित कर सकते हैं। ऐसा वाद तब विचारणीय होगा जब ये व्यक्ति लोक प्रयोजन के लिए स्थापित किसी न्यास के कथित उल्लंघन का प्रकरण स्थापित करते हैं या न्यास के प्रशासन के लिए न्यायालय से निर्देश प्राप्त करना चाहते हैं। उपधारा (1)(ग) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों में से एक योजना का निर्धारण करना है। दीवानी वाद संख्या 601 वर्ष 1987 दायर करने वाले तीन व्यक्तियों में से एक स्वयं संस्थापक द्वारा नामित न्यासी मंडल का सदस्य था। दूसरा संस्थापक का बहनोई था, जिसने संस्थान के लिए भूमि क्रय करने तथा विद्यालय की इमारतों के निर्माण हेतु धन एकत्र किया था। तीसरा संस्थान के एक छात्र का अभिभावक था। इन व्यक्तियों में से किसी की भी इस आधार पर आलोचना नहीं की जा सकती कि वे न्यास के प्रति सद्भावना से रहित थे। [कंडिका 25][1099-एफ-एच; 1100-ए-बी]

1.2 धारा 92 की उपधारा (2) यह उपबंधित करती है कि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी अनुतोष की मांग करने वाला वाद उसी उपधारा के अनुरूप संस्थित किया जाना चाहिए। ऐसा वाद संस्थित किए जाने के पश्चात, विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि यह एक सार्वजनिक न्यास है, न कि एक अल्पसंख्यक संस्था। उस निष्कर्ष को उच्च न्यायालय द्वारा अपरिवर्तित रखा गया और इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इसकी पुष्टि की गई। यद्यपि विचारण न्यायालय ने मुख्य प्रार्थना को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था, तथापि अपील में खंड पीठ ने यह अनुभव किया कि न्यास के प्रशासन के लिए एक उपयुक्त योजना आवश्यक थी। अतः उच्च न्यायालय ने दिनांक 4.12.1995 के अपने आदेश द्वारा न्यास के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए योजना निर्धारित की। [कंडिका 26][1100-सी-ई]

1.3 यह उल्लेखनीय है कि खंड पीठ ने दिनांक 4.12.1995 के अपने आदेश

द्वारा योजना निर्धारित की थी, उससे पूर्व उसने संस्थापक की पत्नी श्रीमती 'ईटी' को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तथापि, उन्हें एक और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, इस न्यायालय ने वाद को पुनः उच्च न्यायालय को प्रत्यावर्तित कर दिया। प्रत्यावर्तन के पश्चात वाद की सुनवाई करने वाली उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अप्रैल 2002 में एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अंतरिम अध्यक्ष तथा एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को कार्यकारी न्यायाधीश एवं संवाददाता नियुक्त किया। नियुक्त अध्यक्ष ने खंड पीठ के समक्ष आवश्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए और यह इंगित किया कि श्रीमती 'ईटी' न्यास का कुप्रबंधन कर रही थीं। खंड पीठ ने सभी पहलुओं तथा प्रस्तावों, जिनमें श्रीमती 'ईटी' के प्रस्ताव भी सम्मिलित थे, पर विचार करते हुए दिनांक 5.12.2002 के आदेश द्वारा एक उपयुक्त योजना निर्धारित की। अपीलकर्ता और श्रीमती 'ईटी' को छोड़कर, प्रायः किसी अन्य ने अध्यक्ष अथवा संवाददाता के कार्यनिष्पादन के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई। अपीलकर्ता ने धारा 92 के अधीन अपेक्षित रूप से न्यास के कार्यनिष्पादन के संबंध में कोई कार्यवाही प्रारंभ करना उचित नहीं समझा। योजना के अंतिम रूप से निर्धारित हो जाने के पश्चात, यद्यपि श्रीमती 'ईटी' ने अपील दायर की, तथापि उन्होंने उसे वापस ले लिया। इसी अवस्था में अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की। उसके लिए उचित कार्यवाही यह होती कि यदि वह उचित समझता, तो धारा 92 के अधीन वाद दायर करता। [कंडिका 27][1100-एफ-एच; 1101-ए-सी]

2.1 जहाँ तक न्यास के धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक न्यास होने के स्वरूप का संबंध है, यह दृष्टिकोण प्रारंभ में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया था। तत्पश्चात, इसकी पुष्टि उच्च न्यायालय की खंड पीठ तथा इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा भी की गई। यह तथ्य कि न्यास की स्थापना ऐसे संस्थापक द्वारा की गई थी जो एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित था, समस्त कार्यवाही के दौरान न्यायालयों के समक्ष विद्यमान था। यह तथ्य कि इस न्यास के तीन विद्यालयों ने अल्पसंख्यक स्वरूप का

प्रमाणपत्र प्राप्त किया था, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रतिपादित किया गया था, और इसके बावजूद विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष दिया कि न्यास एक अल्पसंख्यक न्यास नहीं है। उन्होंने विशेष रूप से संस्थापक द्वारा किए गए घोषणा-पत्र के खंड 10 का उल्लेख करते हुए संस्था के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को मान्यता दी। मुद्दा संख्या 6 और 7 पर दिया गया यह विशिष्ट निष्कर्ष उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा अपील में अपरिवर्तित रखा गया और इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पुनः पुष्टि की गई। श्रीमती 'ईटी' ने इस निष्कर्ष के विरुद्ध उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष कोई अपील दायर नहीं की। इस न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष की पहले ही पुष्टि की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में, न्यास के धर्मनिरपेक्ष शैक्षिक न्यास होने के स्वरूप से संबंधित प्रश्न को पुनः खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। [कंडिका 28][1101-सी-एफ; 1102-ई]

2.2 दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 11 की व्याख्या IV स्पष्ट रूप से यह उपबंधित करती है कि कोई भी ऐसा विषय, जो पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण के आधार के रूप में उठाया जा सकता था और उठाया जाना चाहिए था, उसे उस वाद में प्रत्यक्ष और सार रूप से विवादित विषय माना जाएगा, और दीवानी न्यायालय उसी विषय का पुनः विचारण उन्हीं पक्षकारों के बीच या उन पक्षकारों के बीच, जिनके अधीन वे वाद कर रहे थे, नहीं कर सकता। यही सिद्धांत विषय-निषेध पर भी लागू होता है। [कंडिका 28][1101-जी-एच; 1102-ए]

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति बनाम महंत हरनाम सिंह 2003 (3) अनुपूरक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 805 2003 (11) सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 377 तथा *महंत हरनाम बनाम गुरदियाल सिंह* 1967 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 739 एआईआर 1967 सर्वोच्च न्यायालय 1415 – अवलंबित।

3.1 जहाँ तक न्यास से संबंधित तीन विद्यालयों द्वारा तमिलनाडु अधिनियम के अधीन प्राप्त आदेशों का संबंध है, इस संदर्भ में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ये आदेश

दीवानी न्यायालय से प्राप्त किए गए थे और अपील में उनकी पुष्टि की गई थी। तथापि, यह ध्यान देना आवश्यक है कि किसी विद्यालय को अल्पसंख्यक विद्यालय के रूप में मान्यता संबंधित अधिनियम की धारा 11 के अधीन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की जानी होती है, न कि किसी दीवानी न्यायालय से, और इसके अभाव में व्यथित पक्षकार को उक्त अधिनियम की धारा 41 के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अपील का अधिकार प्राप्त है। अधिनियम की धारा 53 स्पष्ट रूप से यह उपबंधित करती है कि किसी भी ऐसे प्रश्न का निर्णय या निपटान करने का अधिकार किसी दीवानी न्यायालय को प्राप्त नहीं होगा, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा निर्णयित या निपटाया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त आदेश अधिकारहीन मंच से प्राप्त किए गए थे। यद्यपि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दीवानी न्यायालय के निर्णयों पर अवलंबन किया गया था, तथापि न्यास के अल्पसंख्यक स्वरूप के निर्धारण के लिए उन्हें प्रासंगिक कारक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। [कंडिका 29][1102-एफ-एच; 1103-ए]

3.2 अधिनियम के उद्देश्य एवं कारणों के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि यह अधिनियम निजी विद्यालयों में शिक्षण एवं अशिक्षण कर्मियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था और इसी संदर्भ में अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए कुछ पृथक उपबंध किए गए थे। वर्तमान वाद में, यद्यपि घोषणा तमिलनाडु अधिनियम के अधीन दावा की गई थी, तथापि उसे उस उद्देश्य के लिए अधिनियम के अधीन विशेष रूप से स्थापित प्राधिकारी से प्राप्त नहीं किया गया था, जो ऐसे दर्जे की घोषणा प्रदान करने के लिए सक्षम है। अतः इन आदेशों का उपयोग न्यास के स्वरूप के निर्धारण के लिए नहीं किया जा सकता। यह भी उल्लेखनीय है कि ये आदेश संस्थापक के जीवनकाल के दौरान नहीं, बल्कि उनके निधन के पश्चात प्राप्त किए गए थे। [कंडिका 29][1103-सी-डी]

4.1 जहाँ तक प्रबंधन में किसी बाहरी व्यक्ति के सम्मिलित होने का संबंध है, यह देखा जाना चाहिए कि संस्थापक ने मंडल में किसी भी व्यक्ति को उनके धर्म के आधार

पर निर्दिष्ट नहीं किया था। इस प्रकार, उन्होंने सभी व्यक्तियों को उनके पदेन स्वरूप में नामित किया था, जैसे कि: (क) विद्यालय के प्रधानाचार्य (पदेन), (ख) प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, (ग) छात्रावास के अधीक्षक (पदेन), (घ) अभिभावक संघ द्वारा निर्वाचित सदस्य, (ङ) कर्मचारी परिषद से निर्वाचित सदस्य, तथा (च) प्रथम पाँच सदस्यों द्वारा नामित शिक्षा क्षेत्र में उच्च स्तर के तीन व्यक्ति। जब इस मंडल की संरचना पर दृष्टि डाली जाती है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि ईसाई समुदाय के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति संस्था के प्रबंधन में सम्मिलित नहीं हो सकते। संयोगवश यह भी उल्लेखनीय है कि नामित अध्यक्ष ईसाई हैं। अपीलकर्ता की आपत्ति प्रतीत होता है कि केवल न्यास के कार्यकारी न्यासी एवं संवाददाता के धर्म के आधार पर ही है। [कंडिका 30][1103-ई-एच]

4.2 वेरी रेव. मदर प्रोविशियल के वाद में दो परीक्षण निर्धारित किए गए थे। नकारात्मक परीक्षण यह है कि किसी अल्पसंख्यक संस्था में अन्य समुदायों का योगदान तथा संस्था के लाभों का बहुसंख्यक समुदाय को प्रदान किया जाना, संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप के निर्धारण में प्रासंगिक कारक नहीं हैं। सकारात्मक परीक्षण यह है कि संस्था की स्थापना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए संस्था स्थापित करना होना चाहिए। जहाँ तक इन नकारात्मक परीक्षणों का संबंध है, वे वर्तमान वाद में पूर्ण होते प्रतीत होते हैं। किंतु जो अधिक महत्वपूर्ण सकारात्मक परीक्षण है, अर्थात् यह कि संस्था की स्थापना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए होना चाहिए, वह पूर्ण नहीं होता। संस्थापक द्वारा की गई प्रारंभिक घोषणा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि संस्था को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित किया जाना था। सभी न्यासियों का नामांकन पदेन आधार पर अथवा उनकी योग्यता के आधार पर किया गया था, न कि धर्म के आधार पर। निधियों तथा आय का उपयोग जाति, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना निर्धन एवं योग्य छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाना था। उक्त घोषणा में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि न्यास का सृजन ईसाई समुदाय के लाभ के लिए किया जा रहा

था। संस्थापक का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष था और उन्होंने किसी धार्मिक समुदाय के लिए सीमित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से न्यास की स्थापना नहीं की थी। केवल इस आधार पर कि वे किसी विशेष धर्म से संबंधित थे, उस धर्म के लोगों को न्यास के प्रशासन का विशिष्ट अधिकार दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। स्थापना और प्रशासन दोनों ही अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा तथा उसी के लिए होना आवश्यक है, जो कि वर्तमान वाद में नहीं है। [कंडिका 31-32][1104-ए-डी-एच; 1105-ए]

राज्य केरल बनाम वेरी रेव. मदर प्रोविंशियल 1971 (11) सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 734 = 1970 (2) सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 417; एस. अजीज बाशा बनाम भारत संघ 1968 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 833 = एआईआर 1968 सर्वोच्च न्यायालय 662; सचिव, मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज बनाम टी. जोस एवं अन्य 2006 (9) अनुपूरक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 644 = 2001 (1) सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 386; आयुक्त, हिंदू धार्मिक न्यास, मद्रास बनाम श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामीयर ऑफ श्री शिरूर मठ 1954 (5) सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 1005 – संदर्भित।

ऑल सेंट्स हाई स्कूल, हैदराबाद एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार 1980 (2) सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 924 = 1980 (2) सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 478 – लागू होने के अंतर्गत माना गया।

मोहम्मद इस्माइल आरिफ एवं अन्य बनाम अहमद मूला दाऊद एवं अन्य एआईआर 1916 प्रिवी काउंसिल 132 – संदर्भित।

4.4 वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा मूल अधिकारिता अपील संख्या 49 वर्ष 1995 में दिनांक 5.12.2002 को पारित विवादित निर्णय में यह अभिमत व्यक्त करने में कोई त्रुटि नहीं थी कि टी. थॉमस शैक्षणिक न्यास एक धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक परोपकारी न्यास है और अल्पसंख्यक संस्था नहीं है। अतः उच्च न्यायालय द्वारा दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 92 के अधीन न्यास के बेहतर

प्रशासन के लिए योजना निर्धारित करना उचित था। उक्त योजना न्यास के हित में है। दिनांक 21.9.2007 के खंड पीठ के सामान्य आदेश द्वारा दिवानी विविध याचिका संख्या 5673 वर्ष 2003, 5560 वर्ष 2005, 9402 वर्ष 2006 तथा दिवानी विविध याचिका संख्या 10340 एवं 10341 वर्ष 2005 में, उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता अध्यक्ष अथवा संवाददाता के विरुद्ध कुप्रबंधन का कोई प्रकरण स्थापित करने में असफल रहा है, और इस संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। [कंडिका 33][1105-डी-एफ]

विश्वनाथ बनाम श्री ठाकुर राधा बल्लभजी 1967 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 618 = एआईआर 1967 सर्वोच्च न्यायालय 1044; टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य 2002 (3) अनुपूरक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 587 = 2002 (8) सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 481; अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसायटी बनाम गुजरात राज्य 1975 (1) सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 173 = 1974 (1) सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 717; तथा केरल शिक्षा विधेयक 1959 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 995 = एआईआर 1958 सर्वोच्च न्यायालय 956 - उद्धृत।

नज़ीर संदर्भ :

1967 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 618	उद्धृत	कंडिका 8
1971 (1) सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 734	संदर्भित	कंडिका 19
2006 (9) अनुपूरक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 644	अवलंबित	कंडिका 20
1980 (2) सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 924	अप्रयोज्य माना गया	कंडिका 20
एआईआर 1916 प्रिवी काउंसिल 132	संदर्भित	कंडिका 20
1968 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 833	अवलंबित	कंडिका 23
2002 (3) अनुपूरक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 587	उद्धृत	कंडिका 23

1975 (1) सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 173	उद्धृत	कंडिका 23
1959 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 995	उद्धृत	कंडिका 23
1954 (5) सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 1005	संदर्भित	कंडिका 23
2003 (3) अनुपूरक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 805 अवलंबित		कंडिका 28
1967 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 739	अवलंबित	कंडिका 28

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : दीवानी अपील संख्या 6786 वर्ष 2003

मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 05.12.2002 के निर्णय एवं आदेश, जो मूल अधिकारिता अपील संख्या 49 वर्ष 1995 में पारित हुआ, से उद्धृत।

साथ में

विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 22590-22591 वर्ष 2007

तथा

दीवानी अपील संख्या 6786 वर्ष 2003 में अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 435 वर्ष 2004।

के. सुब्रमणियन, ई. सी. अग्रवाल, महेश अग्रवाल तथा ऋषि अग्रवाल, अपीलकर्ता के लिए।

एम. एस. गणेश, वी. गिरि, आर. अय्यम पेरुमल, के. शेषाचारी, शोमना खन्ना, जी. नटराजन, सुब्रमणियम प्रसाद, वी. एन. रघुपति, एस. नंदा कुमार, अचिन गोयल, आर. सतीश कुमार, दीपक प्रकाश, उषा नंदिनी, बीजू रमन, मोहम्मद सादिक, जोगी स्कारिया तथा पूर्णिमा भट्ट, उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय एच. एल. गोखले, न्यायमूर्ति द्वारा प्रदान किया गया।

1. दीवानी अपील संख्या 6786 वर्ष 2003 में यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या टी. थॉमस शैक्षणिक न्यास, पेरम्बूर, चेन्नई किसी भी प्रकार से एक अल्पसंख्यक शैक्षिक न्यास है? और यदि ऐसा है, तो क्या मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा इसे एक

सार्वजनिक परोपकारी न्यास मानते हुए दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 92 के अधीन इस न्यास के प्रशासन हेतु योजना निर्धारित करना उचित था?

दीवानी अपील संख्या 6786 वर्ष 2003 तक पहुँचने वाले तथ्य इस प्रकार हैं-

2. पेरम्बूर, चेन्नई के निवासी श्री थॉमस पप्पी के पुत्र श्री टी. थॉमस ने लगभग वर्ष 1970 में चेन्नई में 'सेंट मैरीज़ स्कूल' नामक एक विद्यालय की स्थापना की। दिनांक 4.4.1975 को उन्होंने उक्त विद्यालय के संचालन के उद्देश्य से 'टी. थॉमस शैक्षणिक न्यास' नामक न्यास का घोषणा-पत्र उसमें उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन निष्पादित किया। इस विलेख के कंडिका 2 में उन्होंने न्यास के उद्देश्यों को निम्नानुसार घोषित किया:-

"2. उक्त न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात्-

- (क) उक्त सेंट मैरीज़ स्कूल का संचालन करना,
- (ख) अन्य शैक्षिक संस्थानों तथा शैक्षिक संस्थानों से संबद्ध संस्थानों जैसे अनुसंधान संस्थानों का संचालन करना,
- (ग) न्यास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्थान से, चाहे वे सरकारी हों या अर्ध-सरकारी अथवा अन्य किसी प्रकार के हों, किसी भी प्रकार से दान स्वीकार करना,
- (घ) न्यास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपनी संपत्तियों की सुरक्षा पर अथवा अन्यथा, बैंकों और/या अन्य ऋण संस्थानों और/या व्यक्तियों और/या सार्वजनिक निकायों और/या अन्य सरकारी या अर्ध-सरकारी निकायों से धन उधार लेना,
- (ङ) न्यास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, न्यास की किसी भी संपत्ति, चाहे वह चल हो या अचल, को पट्टे पर देना या बेचना या बंधक रखना अथवा अन्य किसी प्रकार से उसका व्यवहार करना।"

3. कंडिका 3 में उन्होंने यह घोषित किया कि न्यास का संपूर्ण नियंत्रण तथा

प्रबंधन, जिसमें विद्यालय के संवाददाता की नियुक्ति भी सम्मिलित है, 'न्यासी मंडल' में निहित होगा, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

- (क) विद्यालय के प्रधानाचार्य (पदेन),
- (ख) प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका,
- (ग) सेंट मैरीज़ स्कूल छात्रावास के अधीक्षक (पदेन),
- (घ) विद्यालय के अभिभावक संघ से निर्वाचित एक सदस्य,
- (ङ) विद्यालय की कर्मचारी परिषद से निर्वाचित एक सदस्य,
- (च) उपर्युक्त पाँच सदस्यों द्वारा नामित शिक्षा क्षेत्र में उच्च प्रतिष्ठा वाले तीन सदस्य।

कंडिका 4 में उन्होंने प्रथम न्यासी मंडल का नामांकन किया। इसके सदस्य

निम्नलिखित थे:-

- (क) रेव. फादर जी. एम. थॉमस, बी.एससी., एल.टी., कार्यवाहक प्रधानाचार्य,
- (ख) श्री जोसेफ एबेनेज़र, बी.एससी., एल.टी., प्रधानाध्यापक,
- (ग) श्रीमती एलिज़ाबेथ सरस्वती, सेंट मैरीज़ इंग्लिश स्कूल छात्रावास की अधीक्षिका,
- (घ) श्रीमती मौली थायिल, 37, व्यास नगर, मद्रास-39,
- (ङ) श्री जे. देवराज, बी.ए. (कर्मचारी सदस्य),
- (च) श्रीमती मैरी जोशना थॉमस, एम.ए., बी.डी., इतिहास की प्राध्यापिका, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, पथानापुरम, केरल,
- (छ) श्री डी. वी. डीमोंटे, एम.एल.सी., अध्यक्ष, एंग्लो इंडियन एसोसिएशन, मद्रास,
- (ज) पंडित एम. सी. चेंडी, शिक्षण सहायक (सेवानिवृत्त), मद्रास क्रिश्चियन

कॉलेज स्कूल, मद्रास।

4. श्री टी. थॉमस ने कंडिका 10 में विद्यालय की आय तथा उसकी निधियों के उपयोग के संबंध में जो घोषणा की है, वह हमारे उद्देश्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कंडिका इस प्रकार है:-

“10. विद्यालय से प्राप्त आय या न्यास से संबंधित कोई भी आय या निधि का उपयोग केवल न्यास के उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जिसमें निर्धन एवं योग्य विद्यार्थियों को, जाति, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना, वित्तीय सहायता प्रदान करना भी सम्मिलित है।”

(बल दिया गया)

5. श्री थॉमस का निधन 16.1.1984 को हो गया और न्यास तथा विद्यालय का प्रबंधन उनकी पत्नी श्रीमती एलिजाबेथ थॉमस के अधीन आ गया। उनके द्वारा संस्था की निधियों के कुप्रबंधन के संबंध में आरोप लगाए गए। इसके परिणामस्वरूप, न्यास की गतिविधियों में रुचि रखने वाले तीन व्यक्तियों ने इस न्यास के लिए योजना निर्धारण हेतु दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 92 के अधीन मद्रास उच्च न्यायालय में वाद संस्थित किया। वे थे:-

- (i) श्री डी. वी. डीमोंटे, प्रथम न्यासी मंडल के सदस्य,
- (ii) डॉ. के. पी. नटराजन, संस्था के एक छात्र के अभिभावक, तथा
- (iii) श्री कोरा के. जॉर्ज, जो वर्तमान में उत्तरदाता संख्या 1 हैं और स्वर्गीय टी. थॉमस की बहन के पति हैं।

6. इस वाद को दीवानी वाद संख्या 601 वर्ष 1987 के रूप में अंकित किया गया, जिसमें

(i) टी. थॉमस शैक्षणिक न्यास, (ii) श्रीमती एलिजाबेथ थॉमस, (iii) श्रीमती मौली थायिल तथा (iv) रेव. थॉमस मार ओस्थाथियोस को प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित

किया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आवश्यक मुद्दों का निर्धारण किया और तत्पश्चात साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात वाद का निर्णय किया। उनमें से मुद्दा संख्या 6 और 7 निम्नलिखित थे:-

“6. क्या यह वाद, द्वितीय प्रतिवादी द्वारा प्रतिपादित अनुसार, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के परिधि के बाहर आता है?

7. क्या इस न्यायालय को धारा 92 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम प्रतिवादी न्यास के प्रबंधन तथा प्रशासन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है?”

7. श्रीमती एलिजाबेथ थॉमस द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष यह प्रतिपादित किया गया कि संबंधित न्यास एक निजी न्यास तथा एक अल्पसंख्यक संस्था है। उन्होंने यह इंगित किया कि संस्था के तीन विद्यालयों को अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान होने की घोषणा प्राप्त हुई थी। अतः यह निवेदन किया गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश को दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 92 के अधीन इस वाद की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं था। यह निवेदन विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। विद्वान न्यायाधीश ने मूल न्यास विलेख का परीक्षण किया और यह अभिलक्षित किया कि संस्थापक की घोषणा के कंडिका 3 में उद्देश्यों में से एक यह था कि न्यास के उद्देश्य, अर्थात् शैक्षिक उद्देश्य, की पूर्ति के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्थान से, चाहे वे सरकारी हों या अन्य किसी प्रकार के हों, किसी भी प्रकार से दान स्वीकार किया जा सकता है। उन्होंने उपर्युक्त कंडिका 10 का भी उल्लेख किया, जिसमें यह कहा गया था कि संस्था की आय तथा निधियों का उपयोग केवल न्यास के उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जिसमें निर्धन एवं योग्य विद्यार्थियों को, जाति, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना, वित्तीय सहायता प्रदान करना सम्मिलित है। उन्होंने सेंट मैरीज़ विद्यालय समूह के विवरण पुस्तिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने यह भी अभिलक्षित किया कि परिवार के किसी सदस्य द्वारा किसी प्रकार का कोई

लाभ सुरक्षित नहीं रखा गया था और लाभार्थी केवल जनसामान्य थे। कंडिका 29 के अंत में उन्होंने अभिनिर्धारित किया कि उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि यह एक सार्वजनिक परोपकारी न्यास है। यह कंडिका इस प्रकार है:-

“29. मुद्दा संख्या 6 एवं 7:-

प्रदर्श पी-1 न्यास विलेख है। मैं उसमें निहित उन धाराओं का उल्लेख करूँगा जो यह विचार करने के लिए प्रासंगिक हैं कि क्या यह एक सार्वजनिक परोपकारी न्यास है। प्रथम पृष्ठ पर उन्होंने यह उल्लेख किया है कि यह न्यास की घोषणा टी. थॉमस द्वारा की गई है, जिन्हें आगे 'घोषक' कहा जाएगा, और यह अभिव्यक्ति, जब तक प्रसंग के प्रतिकूल न हो, घोषक के उत्तराधिकारियों, उत्तराधिकार प्राप्तकर्ताओं, निष्पादकों, प्रशासकों तथा विधिक प्रतिनिधियों को भी अभिप्रेत करेगी। कंडिका 3 में यह कहा गया है कि उक्त न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात्-

(क) उक्त सेंट मैरीज़ स्कूल का संचालन करना;

(ख) अन्य शैक्षिक संस्थानों तथा अनुसंधान संस्थानों जैसे संस्थानों का संचालन करना;

(ग) न्यास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्थान से, चाहे वे सरकारी हों या अन्य किसी प्रकार के हों, किसी भी प्रकार से दान स्वीकार करना इत्यादि।

पृष्ठ 5 पर, खंड 8 के अनुसार, ₹ 2,000/- की राशि इंडियन ओवरसीज बैंक, पेरम्बूर में न्यास के नाम पर जमा की गई है, जो राशि आगे प्राप्त होने वाले दान आदि के साथ मिलकर उन उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त की जाएगी जिनके लिए न्यास की स्थापना की गई है। खंड 10 के अनुसार, जो पृष्ठ 6 पर विद्यमान है, विद्यालय से प्राप्त आय अथवा न्यास से संबंधित किसी भी आय या निधि का उपयोग केवल न्यास के उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जिसमें निर्धन एवं योग्य विद्यार्थियों को जाति, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना वित्तीय

सहायता प्रदान करना सम्मिलित है। प्रदर्श पी-2 में, जो टी. थॉमस शैक्षणिक न्यास के अधीन सेंट मैरीज़ विद्यालय समूह का विवरण पुस्तिका है, कंडिका 1 में इस प्रकार उल्लेख किया गया है:-

“टी. थॉमस शैक्षणिक न्यास की स्थापना शेवेलियर टी. थॉमस, एम.ए., अर्थशास्त्र में डिप्लोमा (लंदन) द्वारा उत्तर मद्रास में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी।” उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि न्यास की स्थापना पूर्णतः शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह भी देखा जाता है कि जनसामान्य से दान प्राप्त करने का प्रावधान है। यह भी स्पष्ट है कि परिवार के किसी सदस्य द्वारा किसी प्रकार का कोई लाभ सुरक्षित नहीं रखा गया है और लाभार्थी केवल जनसामान्य हैं। उपर्युक्त से यह सिद्ध होता है कि यह एक सार्वजनिक परोपकारी न्यास है।”

8. तथापि, विद्वान न्यायाधीश का मत था कि दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 92 को प्रवर्तित करने के लिए इस न्यायालय द्वारा *विश्वनाथ बनाम श्री ठाकुर राधा बल्लभजी* [एआईआर 1967 सर्वोच्च न्यायालय 1044] में निर्धारित तीन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है, अर्थात् (i) न्यास लोक प्रयोजन के लिए परोपकारी अथवा धार्मिक प्रकृति का स्थापित किया गया हो, (ii) न्यास का उल्लंघन हुआ हो अथवा उसके प्रशासन के लिए न्यायालय के निर्देश आवश्यक हों, और (iii) मांगा गया अनुतोष उन्हीं अनुतोषों में से एक हो जो उसमें विनिर्दिष्ट हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया कि न्यास के उल्लंघन का कोई प्रकरण स्थापित नहीं किया गया है और निर्देश हेतु की गई प्रार्थना अस्पष्ट है, तथा इसलिए यद्यपि उन्होंने न्यास को एक परोपकारी न्यास पाया, तथापि उन्होंने मुद्दा संख्या 6 और 7 पर प्रतिवादी के पक्ष में निष्कर्ष दिया। मुद्दा संख्या 8 यह था कि क्या वादकर्ता ऐसे हितबद्ध व्यक्ति माने जा सकते हैं जो वाद बनाए रखने तथा योजना निर्धारण की मांग करने के अधिकारी हों। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि उन्हें हितबद्ध व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। अतः उन्होंने वाद को निरस्त कर दिया। कंडिका 30 के अंत में

उन्होंने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:-

“30. ... “परंतु, यदि साक्ष्य ग्रहण किए जाने के पश्चात यह पाया जाता है कि आरोपित न्यास-भंग स्थापित नहीं हुआ है और न्यायालय के निर्देश हेतु की गई प्रार्थना अस्पष्ट है तथा किसी ठोस तथ्य या आधार पर आधारित नहीं है, बल्कि केवल वाद को धारा 92 के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से की गई है, तो धारा 92 के अधीन लाए गए ऐसे वाद को निरस्त किया जाना चाहिए। वर्तमान वाद में, साक्ष्य ग्रहण किए जाने के पश्चात यह पाया गया है कि आरोपित न्यास-भंग सिद्ध नहीं हुआ है और वादपत्र में किए गए आरोप तथा व्यक्त की गई शिकायतें किसी तथ्य या आधार पर आधारित नहीं हैं। इस निर्णय का सिद्धांत इस वाद के तथ्यों पर पूर्णतः लागू होता है। यद्यपि मैंने यह पाया है कि यह न्यास एक सार्वजनिक परोपकारी न्यास है, तथापि मुद्दा संख्या 1 से 3, 5 तथा 8 पर मेरे निष्कर्षों के आलोक में यह निष्कर्ष निकलता है कि मुद्दा संख्या 6 और 7 का निर्णय सकारात्मक रूप से किया जाना चाहिए।”

9. वर्तमान वाद में उत्तरदाता संख्या 1 ने मूल अधिकारिता अपील संख्या 49 वर्ष 1995 दायर करके इस विषय को अपील में प्रस्तुत किया। श्रीमती एलिजाबेथ ने इस निष्कर्ष के विरुद्ध कि संस्था एक सार्वजनिक न्यास है, विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध कोई प्रतिअपील या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। खंड पीठ ने यह अभिलक्षित किया कि मुद्दा संख्या 6 और 7 पर विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह माना था कि संस्था एक सार्वजनिक न्यास है, और इस निष्कर्ष को उसने स्वीकृति के साथ ग्रहण किया। मुद्दा संख्या 8 पर विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष के संबंध में, खंड पीठ ने यह अभिलक्षित किया कि श्री कोरा के. जॉर्ज ने उन विस्तृत भूमियों के क्रय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो टी. थॉमस शैक्षणिक न्यास के कब्जे और स्वामित्व में थीं। वे मैरियन स्कूल तथा सेंट मैरीज़ गर्ल्स स्कूल, सेम्बियम, मद्रास की इमारतों के निर्माण के भी प्रभारी थे। खंड पीठ ने यह

अभिनिर्धारित किया कि वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी न्यास में पर्याप्त रुचि है और इसके विपरीत विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण उचित नहीं था। वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, खंड पीठ ने यह मत बनाया कि जब संस्था को एक सार्वजनिक न्यास माना गया है, तो एक उपयुक्त योजना निर्धारित करना आवश्यक है। उसने यह अभिलक्षित किया कि प्रारंभ में न्यास द्वारा केवल एक विद्यालय संचालित किया जाता था, किंतु अब वह एक महाविद्यालय का भी संचालन कर रहा है, और न्यासी मंडल में महाविद्यालय के प्राचार्य का प्रतिनिधित्व आवश्यक है। न्यायालय का यह मत था कि न्यास विलेख में विद्यमान कमियों को दूर करना अत्यंत आवश्यक है, जो केवल एक योजना निर्धारित करके ही किया जा सकता है। अतः न्यायालय ने दिनांक 20.11.1995 को दोनों पक्षकारों को न्यायालय के विचारार्थ प्रारूप योजनाएँ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। श्रीमती एलिजाबेथ थॉमस ने इस विशिष्ट आदेश के बावजूद कोई प्रारूप योजना प्रस्तुत नहीं की। इसके पश्चात न्यायालय ने श्री कोरा के. जॉर्ज द्वारा प्रस्तुत प्रारूप योजना पर विचार किया, उसमें आवश्यक संशोधन किए और तदनुसार दिनांक 4.12.1995 के निर्णय एवं आदेश द्वारा अपील को स्वीकार किया।

10. श्रीमती एलिजाबेथ थॉमस तथा टी. थॉमस शैक्षणिक न्यास ने उक्त निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष दीवानी अपील दायर की, जिसे दीवानी अपील संख्या 16578 वर्ष 1996 के रूप में अंकित किया गया। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने दिनांक 27.10.1999 को निम्नलिखित आदेश पारित करते हुए उक्त अपील का निस्तारण किया:-

"हमारा यह मत है कि विधिक प्रश्नों के संबंध में उच्च न्यायालय का निर्णय किसी हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं करता, तथापि यह ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता स्थापना के समय से ही प्रबंध न्यासी रहे हैं, उन्हें एक और अवसर दिया जाना चाहिए कि वे एक प्रारूप योजना प्रस्तुत करें, जिसे इस वाद के उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत प्रारूप योजना के साथ विचार किया जाए। हमारे मत में

यह अधिक उपयुक्त होगा कि प्रारूप योजनाओं पर विचार करने का यह कार्य इस न्यायालय के स्थान पर उच्च न्यायालय द्वारा किया जाए। अतः हम, अन्य सभी पहलुओं में उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए, वाद को प्रारूप योजनाओं पर पुनः विचार करने हेतु उच्च न्यायालय को प्रत्यावर्तित करते हैं। वर्तमान अपीलकर्ता आज से आठ सप्ताह के भीतर प्रारूप योजना प्रस्तुत करेंगे। इसके पश्चात उच्च न्यायालय दोनों पक्षों को युक्तिसंगत अवसर प्रदान कर इस प्रश्न का निर्णय करेगा

(बल दिया गया)

जैसा कि इस आदेश से स्पष्ट है, इस न्यायालय ने सभी पहलुओं पर उच्च न्यायालय के निर्णय की विशेष रूप से पुष्टि की। वाद को केवल इस उद्देश्य से प्रत्यावर्तित किया गया कि अपील दायर करने वाली श्रीमती एलिजाबेथ थॉमस को एक अवसर प्रदान किया जा सके। यह भी उल्लेखनीय है कि योजना के संबंध में निर्णय लंबित रहने तक, इस न्यायालय ने अनुमोदित योजना के क्रियान्वयन के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी।

11. वाद के प्रत्यावर्तन के पश्चात, मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने योजना के निर्धारण के प्रश्न पर विचार किया। उसने उपर्युक्त वर्णित कार्यवाही के इतिहास का परीक्षण किया। उच्च न्यायालय ने यह अभिलक्षित किया कि यद्यपि प्रारंभ में न्यास केवल एक विद्यालय का संचालन कर रहा था, तथापि दिसंबर 2002 में अपील के निर्णय के समय तक वह आठ विद्यालयों तथा महाविद्यालयों का संचालन कर रहा था। न्यायालय ने यह भी अभिलक्षित किया कि श्रीमती थॉमस के विरुद्ध वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगाए गए थे, और इसलिए मद्रास उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति कनकराज को न्यास का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने दिनांक 3.6.2002 तथा 7.10.2002 को दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए, जिनमें उन्होंने यह प्रतिवेदित किया कि श्रीमती एलिजाबेथ थॉमस संस्था की उस भूमि को विक्रय करने का प्रयास कर रही थीं, जो माधवरम में उसके

अभियांत्रिकी महाविद्यालय के लिए क्रय की गई थी।

12. न्यायालय ने श्रीमती एलिजाबेथ थॉमस, श्री कोरा के. जॉर्ज तथा अंतरिम अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रारूप योजनाओं का परीक्षण किया। श्रीमती थॉमस ने पुनः यह प्रश्न उठाने का प्रयास किया कि यह एक अल्पसंख्यक संस्था है, परंतु खंड पीठ ने इस निवेदन को इस कारण अस्वीकार कर दिया कि इस विषय पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया निष्कर्ष इस न्यायालय द्वारा अपरिवर्तित रखा गया था। श्रीमती थॉमस ने अपने लिए आजीवन न्यासी के रूप में नियुक्ति की मांग की। खंड पीठ ने यह अभिलक्षित किया कि उनके विरुद्ध निधियों के दुरुपयोग के गंभीर आरोप थे। इन आरोपों पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने यह भी अभिलक्षित किया कि उन्होंने अक्टूबर 1997 में 'एलिजाबेथ थॉमस न्यास' नामक अपना एक पृथक न्यास स्थापित किया था। उन्होंने टी. थॉमस शैक्षणिक न्यास की संपत्तियों को सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत कर ₹ 2.50 करोड़ का ऋण प्राप्त किया था और उस राशि को अपने निजी न्यास में स्थानांतरित कर दिया था। अतः खंड पीठ ने अपने पूर्व आदेश दिनांक 27.3.2002 द्वारा यह अभिनिर्धारित किया था कि एलिजाबेथ थॉमस न्यास की संपत्तियों को टी. थॉमस न्यास की संपत्ति माना जाएगा। श्रीमती थॉमस ने ईसाई समुदाय के एक धार्मिक नेता को आजीवन न्यासी तथा न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की मांग की। खंड पीठ ने अपने निर्णय के कंडिका 16 में यह अभिलक्षित किया कि ऐसी मांग स्वीकार नहीं की जा सकती और एक सार्वजनिक न्यास को परोक्ष विधि से धार्मिक न्यास में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः उसने दिनांक 5.12.2002 के अपने निर्णय एवं आदेश द्वारा योजना निर्धारित की। कंडिका 25 में उसने आठ व्यक्तियों से युक्त एक न्यासी मंडल की नियुक्ति की। यह कंडिका 25 इस प्रकार है:-

“25. प्रथम न्यासी मंडल में मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. कनकराज अध्यक्ष के रूप में, श्री एस. पालयमलाई, भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त) कार्यकारी न्यासी के रूप में तथा श्रीमती

एलिजाबेथ थॉमस न्यासी के रूप में सम्मिलित होंगे; डॉ. वी. ए. वसंत, सेंट मैरीज मैट्रिकुलेशन बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल, पेरम्बूर, चेन्नई-11 के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, सेंट मैरीज मैट्रिकुलेशन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, सेम्बियम, चेन्नई-11 की प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापिका, शेवेलियर टी. थॉमस एलिजाबेथ मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल, पेरम्बूर, चेन्नई-11 के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक तथा शेवेलियर टी. थॉमस एलिजाबेथ महिला महाविद्यालय, पेरम्बूर, चेन्नई-11 के प्राचार्य, न्यासी के रूप में होंगे। वे अपनी प्रथम बैठक की तिथि से दो माह के भीतर संस्था में नियोजित अशिक्षण कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु एक न्यासी का नामांकन करेंगे।”

13. श्रीमती एलिजाबेथ थॉमस ने उक्त निर्णय एवं आदेश को चुनौती देने के लिए विशेष अनुमति याचिका संख्या 24352 वर्ष 2002 दायर की, किंतु बाद में उन्होंने इसे दिनांक 20.01.2003 को वापस ले लिया। (उनका पश्चात् 5.9.2006 को निधन हो गया।) वर्तमान दीवानी अपील संख्या 6786 वर्ष 2003 में, उक्त निर्णय एवं आदेश को इस अपीलकर्ता द्वारा चुनौती दी गई है, जो चेन्नई के एक चिकित्सक हैं और जिन्होंने स्वयं विशेष अनुमति याचिका के कंडिका 1.1 में यह स्वीकार किया है कि वे उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे। वे यह दावा करते हैं कि उन्होंने न्यास के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की थी। उन्होंने पुनः इस न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठाने का प्रयास किया है कि टी. थॉमस शैक्षणिक न्यास को एक सार्वजनिक न्यास नहीं माना जा सकता। उनके अनुसार यह एक अल्पसंख्यक संस्था है और अतः उच्च न्यायालय ने दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 92 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने में त्रुटि की।

14. अपीलकर्ता ने इसके पश्चात् दीवानी विविध याचिका संख्या 20476 वर्ष 2003 दायर की, ताकि वह निष्पादित मूल अधिकारिता अपील संख्या 49 वर्ष 1995 में स्वयं

को पक्षकार के रूप में सम्मिलित करा सके। उसने 10.12.2003 को एक अन्य दीवानी विविध याचिका संख्या 5673 वर्ष 2003 भी दायर की, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष मूल अधिकारिता अपील संख्या 49 वर्ष 1995 में अध्यक्ष तथा प्रबंध न्यासी को हटाने की प्रार्थना की गई। अपीलकर्ता ने यह शिकायत की कि कार्यकारी न्यासी तथा अध्यक्ष न्यास के प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए उसकी संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों का परित्याग कर रहे हैं। तथापि, उसने उक्त दीवानी विविध याचिका को आगे नहीं बढ़ाया और दीवानी अपील संख्या 6786 वर्ष 2003 में अंतरिम आवेदन संख्या 4 दायर कर न्यासियों को उन संपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों का परित्याग करने से रोकने तथा एक अभिरक्षक की नियुक्ति की प्रार्थना की। इस न्यायालय ने उक्त अंतरिम आवेदन को दिनांक 16.4.2004 को निम्नलिखित आदेश पारित करते हुए अस्वीकार कर दिया:-

“हम इस अवस्था पर इस आवेदन में की गई प्रार्थना के अनुसार किसी अभिरक्षक की नियुक्ति करने के लिए प्रवृत्त नहीं हैं। तथापि, हम न्यासियों को इस न्यायालय की अनुमति के बिना किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का परित्याग करने से प्रतिबंधित करते हैं। अंतरिम आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।”

15. अपीलकर्ता ने तत्पश्चात अवमानना याचिका संख्या 435 वर्ष 2004 दायर की और यह इंगित किया कि दिनांक 16.4.2004 के उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए कार्यकारी न्यासी तथा अध्यक्ष संस्था के कुछ वाहनों और फर्नीचर का परित्याग कर रहे हैं। इस पर, इस न्यायालय ने दिनांक 6.9.2004 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

“अवमानना याचिका को मुख्य अपील के साथ सूचीबद्ध किया जाए। अभिरक्षक की नियुक्ति हेतु आवेदक द्वारा दायर आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। हम आवेदक को उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हैं।”

16. (i) दिवानी विविध याचिका संख्या 20476 वर्ष 2003 को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 9.3.2005 को स्वीकार किया गया और अपीलकर्ता को मूल अधिकारिता अपील संख्या 49 वर्ष 1995 में उत्तरदाता के रूप में सम्मिलित किया गया। इसके पश्चात, अपीलकर्ता ने मूल अधिकारिता अपील संख्या 49 वर्ष 1995 में अभिरक्षक की नियुक्ति हेतु दिवानी विविध याचिका संख्या 5660 वर्ष 2005 दायर की। उसने दिवानी विविध याचिका संख्या 9402 वर्ष 2006 भी दायर की, जिसमें मूल अधिकारिता अपील संख्या 49 वर्ष 1995 में पारित योजना संबंधी न्यायादेश में संशोधन की प्रार्थना की गई। अपीलकर्ता ने विभिन्न शिकायतें प्रस्तुत कीं, जिनमें यह भी सम्मिलित था कि माधवरम स्थित न्यास की लगभग पाँच एकड़ भूमि को न्यास के प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए अत्यंत कम मूल्य पर विक्रय कर दिया गया था। कार्यकारी न्यासी तथा अध्यक्ष ने इन आरोपों का खंडन किया और यह इंगित किया कि सभी निर्णय संपूर्ण न्यासी मंडल द्वारा लिए गए थे, न कि केवल इन दो व्यक्तियों द्वारा। इसके विपरीत, उन्होंने यह आरोप लगाया कि अपीलकर्ता श्रीमती एलिजाबेथ थॉमस के प्रेरण पर कार्य कर रहा था। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इन सभी प्रश्नों का परीक्षण किया, कार्यकारी न्यासी तथा अध्यक्ष के निवेदनों को स्वीकार किया और दिनांक 21.9.2007 के विस्तृत आदेश द्वारा इन तीनों दिवानी विविध याचिकाओं को गुण-दोष के आधार पर निरस्त कर दिया। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता अध्यक्ष तथा कार्यकारी न्यासी के विरुद्ध यह सिद्ध करने में असफल रहा कि उन्होंने न्यास के हितों के प्रतिकूल कार्य किया या उसके कार्यों का कुप्रबंधन किया। अतः न्यास के लिए अभिरक्षक नियुक्त करने का कोई औचित्य नहीं था। उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि यदि यह मान भी लिया जाए कि पाँच एकड़ भूमि के विक्रय में कोई अनियमितता थी और प्राप्त मूल्य कम था, तो अपीलकर्ता के लिए उपयुक्त मंच के समक्ष उपयुक्त उपचार प्राप्त करना खुला था।

(ii) दिवानी विविध याचिका संख्या 10340 तथा 10341 वर्ष 2005 श्री वी.

जी. पन्नीरसेल्वम तथा श्री सी. वी. डब्ल्यू. डेविडसन द्वारा कार्यवाही में अतिरिक्त आवेदकों के रूप में सम्मिलित होने के लिए दायर की गई थीं। तथापि, चूँकि दिवानी विविध याचिका संख्या 5673 वर्ष 2003, 5560 वर्ष 2005 तथा 9402 वर्ष 2006 को गुण-दोष के आधार पर निरस्त किया जा रहा था, न्यायालय ने इन दोनों दिवानी विविध याचिकाओं पर भी विचार नहीं किया। अतः इन दोनों सम्मिलन याचिकाओं का भी उक्त सामान्य आदेश के साथ ही निस्तारण कर दिया गया। दिनांक 21.9.2007 का यही सामान्य आदेश विशेष अनुमति याचिका संख्या 22590 तथा 22591 वर्ष 2007 का कारण बना। इनका भी दीवानी अपील संख्या 6786 वर्ष 2003 के साथ सुनवाई एवं निर्णय किया जा रहा है।

विपक्षी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत निवेदन -

17. श्री के. सुब्रमणियन, वरिष्ठ अधिवक्ता, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित हुए। उत्तरदाता संख्या 9 एवं 10, अर्थात् टी. थॉमस शैक्षणिक न्यास, जिसका प्रतिनिधित्व उसके कार्यकारी न्यासी श्री एस. पालयमलाई तथा उसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति जे. कनकराज द्वारा किया जा रहा है, को इस न्यायालय के दिनांक 22.8.2003 के आदेश द्वारा इस वाद में सम्मिलित किया गया है। श्री एम. एस. गणेश, वरिष्ठ अधिवक्ता ने उनका प्रतिनिधित्व किया।

18. अपीलकर्ता की ओर से मुख्य निवेदन यह किया गया है कि टी. थॉमस शैक्षणिक न्यास एक अल्पसंख्यक संस्था है और उच्च न्यायालय ने श्री एस. पालयमलाई, जो कि ईसाई नहीं हैं, को न्यास का कार्यकारी न्यासी एवं संवाददाता नियुक्त करने में त्रुटि की है। अपने इस निवेदन के समर्थन में कि यह एक अल्पसंख्यक संस्था है, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुब्रमणियन ने यह प्रस्तुत किया कि न्यास की स्थापना स्वर्गीय श्री टी. थॉमस द्वारा की गई थी, जो ईसाई थे। उनके द्वारा स्थापित विद्यालय का नाम सेंट मैरीज़ स्कूल रखा गया था। तत्पश्चात, इस न्यास से संबंधित तीन विद्यालयों ने तमिलनाडु मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय (विनियमन) अधिनियम, 1973 के अधीन एक दीवानी न्यायालय से अल्पसंख्यक विद्यालय होने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया था, जिसे अपील में

भी अपरिवर्तित रखा गया। इन सभी तथ्यों की उपेक्षा उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करते समय की गई। उनके निवेदन के अनुसार, उच्च न्यायालय को न्यायमूर्ति जे. कनकराज द्वारा प्रस्तावित योजना को स्वीकार नहीं करना चाहिए था।

19. श्री सुब्रमणियन ने यह निवेदन किया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना तथा उनका प्रशासन करने का एक मौलिक अधिकार प्रदान करता है, और इस अधिकार को क्षीण होने नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस न्यायालय की एक संविधान पीठ के निर्णय *राज्य केरल बनाम वेरी रेव. मदर प्रोविंशियल* [1970 (2) सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 417] पर अवलंबन किया और विशेष रूप से उसके कंडिका 8 का उल्लेख किया। यह कंडिका इस प्रकार है:-

“8. अनुच्छेद 30(1) की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा पूर्व में की जा चुकी है। उन मामलों का उल्लेख किए बिना यह कहना पर्याप्त है कि यह उपबंध दो अधिकारों का परिकल्पन करता है, जो समय की दृष्टि से पृथक हैं। पहला अधिकार अल्पसंख्यक की पसंद के संस्थानों की स्थापना करने का प्रारंभिक अधिकार है। यहाँ स्थापना का अर्थ किसी संस्था का अस्तित्व में लाना है और यह अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा होना चाहिए। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई एक परोपकारी व्यक्ति अपने स्वयं के साधनों से संस्था की स्थापना करता है या व्यापक समुदाय उसके लिए धन प्रदान करता है। विधि की दृष्टि में स्थिति समान रहती है और दोनों ही स्थितियों में अभिप्राय यह होना चाहिए कि उस समुदाय के किसी सदस्य द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए संस्था की स्थापना की जाए। यह भी समान रूप से अप्रासंगिक है कि अल्पसंख्यक समुदाय के अतिरिक्त अन्य अल्पसंख्यक समुदायों या यहाँ तक कि बहुसंख्यक समुदाय के लोग भी इन संस्थाओं का लाभ उठाएँ। ऐसे अन्य समुदाय आय का स्रोत बनते हैं और उन्हें इस संरक्षण का लाभ उठाने

से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।”

20. तत्पश्चात्, उन्होंने सचिव, *मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज बनाम टी. जोस एवं अन्य* [2007 (1) सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 386] के निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें हममें से एक (आर. वी. रवीन्द्रन, न्यायमूर्ति) पीठ के सदस्य थे। अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि कंडिका 19 में इस न्यायालय ने अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन से संबंधित सामान्य सिद्धांतों का संक्षेप प्रस्तुत किया है। उसमें विनिर्दिष्ट सिद्धांत (i)(क) इस प्रकार है:-

“(i) अल्पसंख्यकों का अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों को सम्मिलित करता है:-

(क) उस प्रबंध निकाय का चयन करने का अधिकार, जिसमें संस्था के संस्थापकों का विश्वास और आस्था हो, ताकि वह संस्था के कार्यों का संचालन एवं प्रबंधन कर सके,”

उन्होंने यह निवेदन किया कि विवादित आदेश के अंतर्गत नियुक्त संवाददाता को ऐसा व्यक्ति नहीं माना जा सकता जिसमें संस्थापक को विश्वास होता। किसी भी स्थिति में, संस्थापक की पत्नी श्रीमती एलिजाबेथ को उस पर विश्वास नहीं था। उन्होंने इस न्यायालय के निर्णय *ऑल सेंट्स हाई स्कूल, हैदराबाद एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार* [1980 (2) सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 478] के कंडिका 63(6) में किए गए अवलोकनों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, यह प्रतिपादित करने के लिए कि शासी निकाय में किसी बाहरी प्राधिकारी का, चाहे वह कितना ही उच्च क्यों न हो, सम्मिलन संविधान के अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के लिए विनाशकारी होगा। उनके अनुसार, उचित प्रक्रिया यह होनी चाहिए कि संस्था के पूर्व इतिहास तथा उस प्रकार पर विचार किया जाए जिस प्रकार प्रबंधन पूर्व में संचालित किया गया था, जैसा कि *प्रिवी काउंसिल द्वारा मोहम्मद इस्माइल आरिफ एवं अन्य*

बनाम अहमद मूला दाऊद एवं अन्य [एआईआर 1916 प्रिवी काउंसिल 132] में प्रतिपादित किया गया था। ऐसी स्थिति में, उनके अनुसार कार्यकारी न्यासी की नियुक्ति का आदेश अवैध है। उच्च न्यायालय ने दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 92 के अधीन अपने कर्तव्य का समुचित निर्वहन नहीं किया है, और इसलिए इस न्यायालय को हस्तक्षेप करते हुए विवादित निर्णय एवं आदेश को निरस्त करना चाहिए तथा आवश्यक होने पर वाद को पुनर्विचार हेतु उच्च न्यायालय को प्रत्यावर्तित करना चाहिए। उन्होंने अध्यक्ष तथा संवाददाता के विरुद्ध कुप्रबंधन के कुछ आरोपों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया।

21. श्री एम. एस. गणेश, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जो न्यास के अध्यक्ष तथा संवाददाता की ओर से उपस्थित हुए, ने इसके विपरीत यह निवेदन किया कि अपीलकर्ता न्यास के हितों के प्रतिकूल कार्य कर रहा है और इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता यह दावा करता है कि जब श्रीमती एलिजाबेथ थॉमस प्रबंधन में थीं, तब उसने न्यास के लिए लाखों रुपये का योगदान जुटाया था, और बाद में उसने वर्तमान प्रबंधन से उन्हीं राशियों की मांग प्रारंभ कर दी। दिनांक 24.2.2003 को उसने न्यास से लाखों रुपये की मांग करते हुए एक फैक्स संदेश भेजा, और जब श्री एस. पालयमलाई कोर्टायम गए, तब अपीलकर्ता ने उन्हें उन राशियों को वापस करने के लिए धमकी दी, जिसके परिणामस्वरूप संवाददाता को दिनांक 26.2.2003 को पुलिस में शिकायत दर्ज करानी पड़ी। श्रीमती एलिजाबेथ थॉमस और अपीलकर्ता परस्पर मिलीभगत में थे, और इसी कारण, यद्यपि उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष अपनी अपील वापस ले ली थी, फिर भी उन्होंने दिनांक 22.1.2003 के अपने पत्र द्वारा अपीलकर्ता को न्यासी मंडल की औपचारिक बैठकों में सम्मिलित किए जाने की अनुशंसा की, तथा उपर्युक्त दिनांक 26.2.2003 की घटना के पश्चात भी उन्होंने पुनः न्यास के अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपीलकर्ता की राशि वापस करने की मांग की।

22. उपर्युक्त पहलू के अतिरिक्त, श्री गणेश ने यह इंगित किया कि यह न्यास

शिक्षा के उद्देश्यों के लिए एक धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक न्यास है, जो न्यास के विलेख तथा उसकी गतिविधियों से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। उन्होंने यह उल्लेख किया कि न्यास विलेख किसी भी व्यक्ति से धन प्राप्त करने की अनुमति देता है और उसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि इसे किसी ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय के हित में स्थापित किया गया है जिसकी अपनी पृथक संस्कृति हो। इसके विपरीत, न्यास विलेख के कंडिका 10 में स्पष्ट रूप से यह उपबंधित है कि उसकी निधियों का उपयोग जाति, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना योग्य एवं निर्धन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा। इस पहलू पर दिए गए निष्कर्ष प्रारंभ से ही अत्यंत स्पष्ट रहे हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह एक सार्वजनिक परोपकारी न्यास है, न कि एक अल्पसंख्यक संस्था। इस दृष्टिकोण को खंड पीठ द्वारा स्वीकार किया गया और इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पुनः पुष्टि की गई। ऐसी स्थिति में, इस प्रश्न को पुनः खोलने का कोई अवसर शेष नहीं था।

23. न्यास के तीन विद्यालयों द्वारा तमिलनाडु अधिनियम के अधीन अल्पसंख्यक संस्था होने के संबंध में प्राप्त आदेशों के संदर्भ में, श्री गणेश ने यह निवेदन किया कि अधिकतम सीमा तक उन आदेशों को केवल उसी अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्राप्त आदेश के रूप में ही पढ़ा जाना चाहिए, यद्यपि उनके अनुसार वे आदेश ऐसे प्राधिकारी, अर्थात् दीवानी न्यायालय, से प्राप्त किए गए थे जिसे ऐसे आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं था। किसी भी स्थिति में, उन आदेशों का उपयोग न्यास के उद्देश्यों को सीमित करने के लिए अथवा यह प्रतिपादित करने के लिए नहीं किया जा सकता कि यह एक अल्पसंख्यक संस्था है। न्यास के संस्थापक के अभिप्राय को सही रूप में समझना तथा उसे सर्वोच्च महत्व देना आवश्यक है, जो कि इस वाद में न्यायालय द्वारा निरंतर किया गया है। उन्होंने संविधान पीठ के निर्णय *एस. अजीज बाशा बनाम भारत संघ* [एआईआर 1968 सर्वोच्च न्यायालय 662] पर अवलंबन किया, जिसमें अनुच्छेद 30(1) के संदर्भ में इस

न्यायालय ने कंडिका 19 में निम्नलिखित अभिलक्षित किया:-

“19. “हमारे मत में यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों का प्रशासन करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि उन्होंने उन्हें स्थापित किया हो, अन्यथा नहीं। इस अनुच्छेद को इस प्रकार नहीं पढ़ा जा सकता कि यदि किसी शैक्षिक संस्था की स्थापना किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई हो, तो किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक को उसका प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा केवल इस कारण से कि किसी कारणवश वह संविधान के लागू होने से पूर्व उसका प्रशासन कर रहा था। अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द ‘स्थापित करना’ और ‘प्रशासन करना’ को संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए और इस प्रकार पढ़ने पर यह अल्पसंख्यकों को किसी शैक्षिक संस्था का प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है, बशर्ते कि वह संस्था उनके द्वारा स्थापित की गई हो। हमारा मत है कि उस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है जो याचिकाकर्ताओं की इस दलील का समर्थन करता हो कि अल्पसंख्यकों को किसी शैक्षिक संस्था का प्रशासन करने का अधिकार होगा, भले ही वह संस्था उनके द्वारा स्थापित न की गई हो। अनुच्छेद 30(1) में प्रयुक्त दोनों शब्दों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और इस प्रकार पढ़ने पर यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को उन संस्थानों का प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है जिन्हें उन्होंने स्थापित किया है। यदि कोई शैक्षिक संस्था अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित नहीं की गई है, तो वह अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत उसके प्रशासन का अधिकार दावा नहीं कर सकती।”

(बल दिया गया)

श्री गणेश ने यह निवेदन किया कि उक्त सिद्धांत के अनुसार, यदि किसी शैक्षिक संस्था की स्थापना किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है, तो केवल इस आधार पर

कि किसी कारणवश उसका प्रशासन किसी धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा किया जा रहा है, उसे उस संस्था का प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। वर्तमान वाद में, यद्यपि न्यास की स्थापना ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई थी जो एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित था, तथापि उसने एक धर्मनिरपेक्ष न्यास की स्थापना की। उसने स्पष्ट रूप से यह उपबंधित किया कि उसकी आय का उपयोग किसी विशेष समुदाय के छात्रों के लाभ के लिए नहीं किया जाएगा। न्यास के उद्देश्य किसी भी प्रकार से यह नहीं दर्शाते कि न्यास की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 29(1) के अर्थ में किसी विशिष्ट संस्कृति वाले अल्पसंख्यक के हित में की गई है।

23. उन्होंने इस न्यायालय के एक हालिया निर्णय *टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य* [2002 (8) सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 481] का उल्लेख किया और विशेष रूप से उसके कंडिका 117 का, जिसमें इस न्यायालय ने *अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसायटी बनाम गुजरात राज्य* [1974 (1) सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 717] के निर्णय का संदर्भ दिया, जिसमें *केरल शिक्षा विधेयक* [एआईआर 1958 सर्वोच्च न्यायालय 956] में मुख्य न्यायाधीश दास के अवलोकनों को पुनः प्रतिपादित किया गया था कि प्रशासन का अधिकार ऐसे विनियामक उपायों द्वारा संयमित किया जा सकता है जो सुचारु प्रशासन को सुगम बनाते हैं। अल्पसंख्यक संस्था का प्रबंधन करने का अधिकार, उसका कुप्रबंधन करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने एक व्यापक निवेदन भी किया, जो इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय *आयुक्त, हिंदू धार्मिक न्यास, मद्रास बनाम श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामीयर ऑफ श्री शिरूर मठ* [1954 (5) सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 1005] में अनुच्छेद 26(ख) के संदर्भ में किए गए अवलोकनों पर आधारित था, जहाँ पृष्ठ 1023 पर यह कहा गया है कि "अतः यह स्पष्ट है कि किसी धार्मिक समूह या संस्था की संपत्तियों के प्रशासन से संबंधित प्रश्न, धर्म का विषय नहीं हैं, जिन पर अनुच्छेद का खंड (ख) लागू होता

है।” उनके अनुसार, किसी शैक्षिक न्यास के प्रशासन में किसी अन्य धर्म के व्यक्ति की नियुक्ति को संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत अल्पसंख्यक के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।

प्रतिस्पर्धी निवेदनों का विचार -

24. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत निवेदनों का संज्ञान लिया है। प्रारंभ में, हम दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 92 के उस उपबंध का उल्लेख करना चाहेंगे जिसके अधीन इन अपीलों तक पहुँचने वाली कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। यह धारा इस प्रकार है:-

“92. सार्वजनिक परोपकार - (1) किसी भी ऐसे व्यक्ति या निहित न्यास के कथित उल्लंघन के मामले में, जो परोपकारी या धार्मिक प्रकृति के लोक प्रयोजनों के लिए स्थापित किया गया हो, अथवा जहाँ ऐसे किसी न्यास के प्रशासन के लिए न्यायालय के निर्देश आवश्यक समझे जाएँ, महाधिवक्ता या न्यास में हित रखने वाले दो या अधिक व्यक्ति, न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर, चाहे वाद विवादास्पद हो या नहीं, उस प्रधान दीवानी न्यायालय में जिसकी मूल अधिकारिता हो या ऐसे किसी अन्य न्यायालय में जिसे राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सशक्त किया गया हो, और जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर न्यास की विषय-वस्तु का संपूर्ण या कोई भाग स्थित हो, एक न्यायादेश प्राप्त करने के लिए वाद संस्थित कर सकते हैं -

- (क) किसी न्यासी को हटाना;
- (ख) किसी नए न्यासी की नियुक्ति करना;
- (ग) किसी संपत्ति को किसी न्यासी में निहित करना;
- [(गग) ऐसे न्यासी को जिसे हटाया गया हो अथवा ऐसे व्यक्ति को जो न्यासी रहना बंद कर चुका हो, उसके कब्जे में स्थित किसी न्यास संपत्ति का

कब्जा उस व्यक्ति को सौंपने का निर्देश देना जो उस संपत्ति के कब्जे का अधिकारी है;]

- (घ) लेखा प्रस्तुत करने तथा जाँच कराने का निर्देश देना;
- (ङ) यह घोषित करना कि न्यास की संपत्ति या उसमें निहित हित का कौन-सा भाग किसी विशेष उद्देश्य के लिए आवंटित किया जाएगा;
- (च) न्यास की संपूर्ण या किसी भाग की संपत्ति को पट्टे पर देने, बेचने, बंधक रखने या विनिमय करने की अनुमति देना;
- (छ) योजना का निर्धारण करना; अथवा
- (ज) ऐसे अन्य या अतिरिक्त अनुतोष प्रदान करना, जिसकी आवश्यकता वाद की प्रकृति के अनुसार हो।

(2) जहाँ तक धार्मिक न्यास अधिनियम, 1863 (20 वर्ष 1863) अथवा उन क्षेत्रों में प्रवर्तित किसी समतुल्य विधि द्वारा उपबंधित किया गया है, जो 1 तारीख से ठीक पूर्व लागू थी, उसके अधीन, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी अनुतोष के संबंध में ऐसा कोई वाद, उसमें उल्लिखित किसी भी न्यास के संबंध में, उस उपधारा के प्रावधानों के अनुरूप हुए बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

(3) न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्त या निहित न्यास के मूल उद्देश्यों में परिवर्तन कर सकता है, जो परोपकारी या धार्मिक प्रकृति के लोक प्रयोजनों के लिए स्थापित किया गया हो, और ऐसे न्यास की संपत्ति या आय अथवा उसके किसी भाग को निम्नलिखित परिस्थितियों में से एक या अधिक में सिप्रेस सिद्धांत के अनुसार प्रयुक्त करने की अनुमति दे सकता है, अर्थात्:-

- (क) जहाँ न्यास के मूल उद्देश्य, पूर्णतः या आंशिक रूप से,-
 - (i) यथासंभव पूर्ण किए जा चुके हों; अथवा

- (ii) पूर्णतः संपादित नहीं किए जा सकते हों, या न्यास स्थापित करने वाले लेख में दिए गए निर्देशों के अनुसार संपादित नहीं किए जा सकते हों, अथवा जहाँ ऐसा कोई लेख न हो, वहाँ न्यास की भावना के अनुसार संपादित नहीं किए जा सकते हों; या
- (ख) जहाँ न्यास के मूल उद्देश्य न्यास की उपलब्ध संपत्ति के केवल एक भाग के उपयोग का ही प्रावधान करते हों; या
- (ग) जहाँ न्यास के कारण उपलब्ध संपत्ति तथा समान उद्देश्यों के लिए प्रयोज्य अन्य संपत्ति को संयुक्त रूप से अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता हो, और इस उद्देश्य से उसे न्यास की भावना तथा उसके सामान्य उद्देश्यों पर लागू होने को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त रूप से प्रयुक्त किया जा सकता हो; या
- (घ) जहाँ मूल उद्देश्य, पूर्णतः या आंशिक रूप से, ऐसे क्षेत्र के संदर्भ में निर्धारित किए गए थे जो उस समय ऐसा एकक था, किंतु बाद में ऐसे प्रयोजनों के लिए एकक रह नहीं गया; या
- (ङ) जहाँ मूल उद्देश्य, पूर्णतः या आंशिक रूप से, उनके निर्धारित होने के पश्चात—
- (i) अन्य साधनों द्वारा पर्याप्त रूप से पूर्ण किए जा चुके हों; या
- (ii) समुदाय के लिए अनुपयोगी या हानिकारक होने के कारण समाप्त हो गए हों; या
- (iii) विधि की दृष्टि में परोपकारी रह नहीं गए हों; या
- (iv) किसी अन्य प्रकार से न्यास की उपलब्ध संपत्ति के उपयोग

के लिए उपयुक्त एवं प्रभावी माध्यम प्रदान करना बंद कर चुके हों, न्यास की भावना को ध्यान में रखते हुए।”

25. जैसा कि इस धारा से स्पष्ट है, न्यास में हित रखने वाले दो या अधिक व्यक्ति उसमें विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक परोपकार से संबंधित न्यायादेश प्राप्त करने हेतु मूल अधिकारिता वाले प्रधान दीवानी न्यायालय में वाद संस्थित कर सकते हैं। ऐसा वाद तब विचारणीय होगा जब ये व्यक्ति लोक प्रयोजन के लिए स्थापित किसी न्यास के कथित उल्लंघन का प्रकरण स्थापित करते हैं अथवा न्यास के प्रशासन के लिए न्यायालय से निर्देश प्राप्त करना चाहते हैं। उपधारा (1)(ग) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों में से एक योजना का निर्धारण करना है, उपधारा (ख) में नए न्यासी की नियुक्ति का प्रावधान है तथा उपधारा (क) में न्यासी को हटाने का प्रावधान है। दीवानी वाद संख्या 601 वर्ष 1987 दायर करने वाले तीन व्यक्तियों में से श्री डी. वी. डीमोंटे स्वयं संस्थापक श्री टी. थॉमस द्वारा नामित न्यासी मंडल के सदस्य थे। श्री कोरा के. जॉर्ज, श्री टी. थॉमस के बहनोई हैं। उन्होंने संस्थान के लिए भूमि क्रय करने तथा विद्यालय की इमारतों के निर्माण हेतु धन एकत्र किया था। अतः यद्यपि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह माना था कि उन्हें न्यास में हित रखने वाला व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, तथापि इस निष्कर्ष को मूल अधिकारिता अपील संख्या 49 वर्ष 1995 में खंड पीठ द्वारा उलट दिया गया। डॉ. नटराजन संस्था के एक छात्र के अभिभावक हैं। इन व्यक्तियों में से किसी की भी इस आधार पर आलोचना नहीं की जा सकती कि वे न्यास के प्रति सद्भावना से रहित थे।

26. धारा 92 की उपधारा (2) यह उपबंधित करती है कि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी अनुतोष की मांग करने वाला वाद उसी उपधारा के अनुरूप संस्थित किया जाना चाहिए। ऐसा वाद संस्थित किए जाने के पश्चात, विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि यह एक सार्वजनिक न्यास है, न कि एक अल्पसंख्यक संस्था। उस निष्कर्ष को उच्च न्यायालय द्वारा अपरिवर्तित रखा गया और इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ

द्वारा इसकी पुष्टि की गई। यद्यपि विचारण न्यायालय ने श्री कोरा के. जॉर्ज एवं अन्य की मुख्य प्रार्थना को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था, तथापि अपील में खंड पीठ ने यह अनुभव किया कि न्यास के प्रशासन के लिए एक उपयुक्त योजना आवश्यक थी। अतः न्यायालय ने दिनांक 4.12.1995 के अपने आदेश द्वारा न्यास के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए योजना निर्धारित की।

27. यह उल्लेखनीय है कि खंड पीठ ने दिनांक 4.12.1995 के अपने आदेश द्वारा योजना निर्धारित की थी, उससे पूर्व उसने श्रीमती एलिजाबेथ थॉमस को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया था, जिसे उन्होंने करने से इंकार कर दिया। तथापि, उन्हें एक और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, इस न्यायालय ने वाद को पुनः उच्च न्यायालय को प्रत्यावर्तित कर दिया। प्रत्यावर्तन के पश्चात वाद की सुनवाई करने वाली उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अप्रैल 2002 में मद्रास उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. कनकराज को अंतरिम अध्यक्ष तथा एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्री पालयमलाई को कार्यकारी न्यासी एवं संवाददाता नियुक्त किया। माननीय न्यायमूर्ति जे. कनकराज ने खंड पीठ के समक्ष आवश्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए और यह इंगित किया कि श्रीमती एलिजाबेथ न्यास का कुप्रबंधन कर रही थीं। खंड पीठ ने सभी पहलुओं तथा प्रस्तावों, जिनमें श्रीमती एलिजाबेथ थॉमस के प्रस्ताव भी सम्मिलित थे, पर विचार करते हुए दिनांक 5.12.2002 के आदेश द्वारा एक उपयुक्त योजना निर्धारित की। अपीलकर्ता तथा श्रीमती एलिजाबेथ को छोड़कर, प्रायः किसी अन्य ने अध्यक्ष अथवा संवाददाता के कार्यनिष्पादन के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई। अपीलकर्ता ने धारा 92 के अधीन अपेक्षित रूप से न्यास के कार्यनिष्पादन के संबंध में कोई कार्यवाही प्रारंभ करना उचित नहीं समझा। योजना के अंतिम रूप से निर्धारित हो जाने के पश्चात, यद्यपि श्रीमती एलिजाबेथ ने अपील दायर की, तथापि उन्होंने उसे वापस ले लिया। इसी अवस्था में अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की और वही प्रश्न उठाए जो उसने उठाए हैं। उसके लिए

उचित कार्यवाही यह होती कि यदि वह उचित समझता, तो धारा 92 के अधीन वाद दायर करता।

28. जैसा कि उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है, जहाँ तक न्यास के धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक न्यास होने के स्वरूप का संबंध है, यह दृष्टिकोण प्रारंभ में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया था। तत्पश्चात इसकी पुष्टि उच्च न्यायालय की खंड पीठ तथा इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा भी की गई। यह तथ्य कि न्यास की स्थापना स्वर्गीय श्री टी. थॉमस द्वारा की गई थी, जो एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित थे, समस्त कार्यवाही के दौरान न्यायालयों के समक्ष विद्यमान था। यह तथ्य कि इस न्यास के तीन विद्यालयों ने अल्पसंख्यक स्वरूप का प्रमाणपत्र प्राप्त किया था, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रतिपादित किया गया था, और इसके बावजूद विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष दिया कि न्यास एक अल्पसंख्यक न्यास नहीं है। उन्होंने विशेष रूप से संस्थापक द्वारा किए गए घोषणा-पत्र के खंड 10 का उल्लेख करते हुए संस्था के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को मान्यता दी। मुद्दा संख्या 6 और 7 पर दिया गया यह विशिष्ट निष्कर्ष उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा अपील में अपरिवर्तित रखा गया और इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पुनः पुष्टि की गई। श्रीमती एलिजाबेथ ने इस निष्कर्ष के विरुद्ध उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष कोई अपील दायर नहीं की। इस न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष की पहले ही पुष्टि की जा चुकी है। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 11 की व्याख्या IV स्पष्ट रूप से यह उपबंधित करती है कि कोई भी ऐसा विषय, जो पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण के आधार के रूप में उठाया जा सकता था और उठाया जाना चाहिए था, उसे उस वाद में प्रत्यक्ष और सार रूप से विवादित विषय माना जाएगा, और दीवानी न्यायालय उसी विषय का पुनः विचारण उन्हीं पक्षकारों के बीच या उन पक्षकारों के बीच, जिनके अधीन वे वाद कर रहे थे, नहीं कर सकता। यही सिद्धांत विषय-निषेध पर भी लागू होता है। ऐसा ही दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा *शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति बनाम महंत हरनाम सिंह*

[2003 (11) सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 377] में अपनाया गया था। उस वाद में यह प्रश्न था कि क्या कोई विशेष पंथ सिख धर्म से संबंधित पंथ माना जा सकता है। यह प्रश्न पूर्व में *महंत हरनाम बनाम गुरदियाल सिंह* [एआईआर 1967 सर्वोच्च न्यायालय 1415] में निर्णयित किया जा चुका था। अतः अपने निर्णय के कंडिका 17 के अंत में इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:-

“संस्थाओं की प्रकृति एवं स्वरूप से संबंधित तथ्यात्मक निष्कर्ष, जो प्रचलित विधिक सिद्धांतों के विस्तृत परीक्षण के उपरांत विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं और जो अंतिमता प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें पुनः विवादित नहीं किया जा सकता और ‘विषय-निषेध’ के सिद्धांत के आधार पर भी ऐसा करना निषिद्ध है। जैसा कि उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा युक्तियुक्त रूप से प्रतिपादित किया गया है, विशिष्ट तथ्यात्मक परिस्थितियों में दिए गए निर्णयों का अपरिवर्तनीय अनुप्रयोग नहीं किया जा सकता।”

ऐसी स्थिति में, न्यास के धर्मनिरपेक्ष शैक्षिक न्यास होने के स्वरूप से संबंधित प्रश्न को पुनः खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

29. इसके पश्चात यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या उपर्युक्त उल्लिखित तमिलनाडु अधिनियम के अधीन न्यास के तीन विद्यालयों द्वारा प्राप्त आदेश किसी प्रकार का अंतर उत्पन्न करते हैं। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ये आदेश दीवानी न्यायालय से प्राप्त किए गए थे और अपील में उनकी पुष्टि भी की गई थी। तथापि, यह ध्यान देना आवश्यक है कि किसी विद्यालय को अल्पसंख्यक विद्यालय के रूप में मान्यता संबंधित अधिनियम की धारा 11 के अधीन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की जानी चाहिए, न कि किसी दीवानी न्यायालय से, और इसके अभाव में व्यथित पक्षकार को उक्त अधिनियम की धारा 41 के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अपील का अधिकार प्राप्त है। अधिनियम की धारा 53 स्पष्ट रूप से यह उपबंधित करती है कि किसी भी ऐसे प्रश्न का निर्णय या निपटान करने का

अधिकार किसी दीवानी न्यायालय को प्राप्त नहीं होगा, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा निर्णयित या निपटाया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उक्त आदेश अधिकारहीन मंच से प्राप्त किए गए थे। यद्यपि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दीवानी न्यायालय के निर्णयों पर अवलंबन किया गया था, तथापि न्यास के अल्पसंख्यक स्वरूप के निर्धारण के लिए उन्हें प्रासंगिक कारक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। अब जबकि यह निवेदन पुनः दोहराया जा रहा है, श्री गणेश ने कुछ बलपूर्वक यह प्रस्तुत किया है कि ये आदेश ऐसे न्यायालय से प्राप्त किए गए हैं जिसे कोई अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं था। इस संदर्भ में यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि अधिनियम के उद्देश्य एवं कारणों के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि यह अधिनियम निजी विद्यालयों में शिक्षण तथा अशिक्षण कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था और इसी संदर्भ में अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए कुछ पृथक उपबंध किए गए थे। वर्तमान वाद में, यद्यपि घोषणा तमिलनाडु अधिनियम के अधीन दावा की गई थी, तथापि उसे उस उद्देश्य के लिए अधिनियम के अधीन विशेष रूप से स्थापित प्राधिकारी से प्राप्त नहीं किया गया था, जो ऐसे दर्जे की घोषणा प्रदान करने के लिए सक्षम है। अतः हमारी समझ में इन आदेशों का उपयोग न्यास के स्वरूप के निर्धारण के लिए नहीं किया जा सकता। यह भी उल्लेखनीय है कि ये आदेश संस्थापक के जीवनकाल के दौरान नहीं, बल्कि उनके निधन के पश्चात प्राप्त किए गए थे।

30. जहाँ तक प्रबंधन में किसी बाहरी व्यक्ति के सम्मिलित होने का संबंध है, यह देखा जाना चाहिए कि संस्थापक ने मंडल में किसी भी व्यक्ति को उनके धर्म के आधार पर निर्दिष्ट नहीं किया था। इस प्रकार, उन्होंने सभी व्यक्तियों को उनके पदेन स्वरूप में नामित किया था, जैसे कि- (क) विद्यालय के प्रधानाचार्य (पदेन), (ख) प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, (ग) छात्रावास के अधीक्षक (पदेन), (घ) अभिभावक संघ द्वारा निर्वाचित सदस्य, (ङ) कर्मचारी परिषद से निर्वाचित सदस्य, तथा (च) प्रथम पाँच सदस्यों

द्वारा नामित शिक्षा क्षेत्र में उच्च स्तर के तीन व्यक्ति। जब इस मंडल की संरचना पर दृष्टि डाली जाती है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि ईसाई समुदाय के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति संस्था के प्रबंधन में सम्मिलित नहीं हो सकते। संयोगवश यह भी उल्लेखनीय है कि नामित अध्यक्ष न्यायमूर्ति जे. कनकराज, स्वर्गीय पी. जैकब के पुत्र, ईसाई हैं। अपीलकर्ता की आपत्ति प्रतीत होता है कि केवल न्यास के कार्यकारी न्यासी एवं संवाददाता श्री एस. पालयमलाई के धर्म के आधार पर ही है।

31. *वेरी रेव. मदर प्रोविंशियल* के उपर्युक्त उद्धृत कंडिका 8 में दो परीक्षण निर्धारित किए गए हैं। नकारात्मक परीक्षण यह है कि किसी अल्पसंख्यक संस्था में अन्य समुदायों का योगदान तथा संस्था के लाभों का बहुसंख्यक समुदाय को प्रदान किया जाना, संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप के निर्धारण में प्रासंगिक कारक नहीं हैं। सकारात्मक परीक्षण यह है कि संस्था की स्थापना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए संस्था स्थापित करना होना चाहिए। जहाँ तक इन नकारात्मक परीक्षणों का संबंध है, वे वर्तमान वाद में पूर्ण होते प्रतीत होते हैं। किंतु जो अधिक महत्वपूर्ण सकारात्मक परीक्षण है, अर्थात् यह कि संस्था की स्थापना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए होना चाहिए, वह पूर्ण नहीं होता। हमें संस्थापक द्वारा की गई प्रारंभिक घोषणा में कहीं भी ऐसा नहीं मिलता कि संस्था को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित किया जाना था। सभी न्यासियों का नामांकन पदेन आधार पर अथवा उनकी योग्यता के आधार पर किया गया था, न कि धर्म के आधार पर। निधियों तथा आय का उपयोग जाति, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना निर्धन एवं योग्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाना था। उक्त घोषणा में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि न्यास का सृजन ईसाई समुदाय के लाभ के लिए किया जा रहा था। इस प्रकार, *वेरी रेव. मदर प्रोविंशियल* में प्रतिपादित सिद्धांत वास्तव में अपीलकर्ता के विरुद्ध जाता है।

32. वर्तमान वाद के तथ्यों में, हमें श्री गणेश द्वारा *शिरूर मठ* के निर्णय से

उद्धृत अंश के आधार पर प्रतिपादित अत्यंत विस्तृत तर्क तक जाने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, हम *एस. अजीज बाशा* में प्रतिपादित उस सिद्धांत की उपेक्षा नहीं कर सकते कि यदि किसी संस्था की स्थापना किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है, अर्थात् किसी अन्य धर्म के व्यक्ति द्वारा या किसी धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति द्वारा, तो केवल इस आधार पर कि वह व्यक्ति किसी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है या किसी कारणवश उस संस्था का प्रशासन अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कर रहे हैं, वह अल्पसंख्यक अनुच्छेद 30(1) के आधार पर उसके प्रशासन का अधिकार दावा नहीं कर सकता। वर्तमान वाद में, संस्थापक का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष प्रतीत होता है और उन्होंने किसी धार्मिक समुदाय के लिए सीमित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से न्यास की स्थापना नहीं की थी। केवल इस आधार पर कि वे किसी विशेष धर्म से संबंधित थे, उस धर्म के लोगों को न्यास के प्रशासन का विशिष्ट अधिकार दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। संस्था की स्थापना तथा उसका प्रशासन, दोनों ही, अल्पसंख्यक द्वारा और अल्पसंख्यक के लिए होना चाहिए, जो कि वर्तमान वाद में नहीं है। इसी प्रकार, *मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज* के निर्णय के कंडिका 19 के उप-कंडिका (ii) एवं (iii) में किए गए अवलोकनों के अनुसार यह भी उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 30 के अधीन अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकार केवल उन्हें बहुसंख्यकों के साथ समानता प्रदान करने के लिए है, न कि उन्हें बहुसंख्यकों की तुलना में अधिक लाभप्रद स्थिति में रखने के लिए। शैक्षिक संस्थान की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार, उसके कुप्रबंधन का अधिकार सम्मिलित नहीं करता। वर्तमान वाद की स्थिति को देखते हुए, हमारे लिए *ऑल सेंट्स हाई स्कूल* के निर्णय के कंडिका 63(6) या *मोहम्मद इस्माइल* के मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों को लागू करने का कोई अवसर नहीं है।

33. उपरोक्त परिस्थितियों तथा विधिक स्थिति का अवलोकन करने के पश्चात, वर्तमान वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, हमारे मत में मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा मूल अधिकारिता अपील संख्या 49 वर्ष 1995 में दिनांक 5.12.2002 को पारित

विवादित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि टी. थॉमस शैक्षणिक न्यास एक धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक परोपकारी न्यास है, न कि एक अल्पसंख्यक संस्था। अतः उच्च न्यायालय द्वारा दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 92 के अधीन योजना निर्धारित करना इस उद्देश्य से उचित था कि न्यास का प्रशासन बेहतर ढंग से संचालित हो सके। हमें उक्त योजना न्यास के हित में प्रतीत होती है। हमने खंड पीठ के दिनांक 21.9.2007 के सामान्य आदेश, जो दिवानी विविध याचिका संख्या 5673 वर्ष 2003, 5560 वर्ष 2005, 9402 वर्ष 2006 तथा 10340 एवं 10341 वर्ष 2005 में पारित हुआ था, का भी परीक्षण किया है। उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलकर्ता अध्यक्ष अथवा संवाददाता के विरुद्ध कुप्रबंधन का कोई प्रकरण स्थापित करने में असफल रहा है, और इस संबंध में हमें उच्च न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती। हमें अवमानना याचिका संख्या 435 वर्ष 2004 में भी कोई योग्यता नहीं प्रतीत होती। अतः परिस्थितियों में, दीवानी अपील संख्या 6786 वर्ष 2003, विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 22590-22591 वर्ष 2007 तथा अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 435 वर्ष 2004—सभी निरस्त की जाती हैं। तथापि, व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

आर.पी.

मामले निरस्त किए जाते हैं।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।